न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 108/2021 वाद

1. बाबुलाल मीणा पिता श्री लालुराम जी मीणा उम्र बालिग, जरिये मुख्तयार पुनालाल पुत्र कमला जी मीणा निवासी से. 14, उदयपुर (राज.)
2. श्री कान्तिलाल मीणा पिता श्री लच्छुराम जी मीणा, उम्र बालिग निवासियान–गॉव पीपली–अ, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

.............वादीगण

बनाम

1. श्री रामा मीणा पिता श्री कुबा मीणा उम्र वयस्क, निवासी खरपीणा, तह0 गिर्वा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर
3. रामचन्द्र पिता स्व0 नाथुदास गमेती निवासी हवालाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी दौलतराम गमेती पुत्री नाथुदास गमेती, निवासी हवालाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

...........प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.</u>

<u>श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 4उपस्थित</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 09.10.23

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश कर अंकित किया कि वादी बाबुलाल एवं कांतिलाल ने ग्राम उमरीया तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक से दिनांक 07.08.2008 को क्रय करना बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण ने न्यायालय के सम्मुख असत्य कथन कर वास्तविक स्थिति जानते हुए मिथ्या आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित आराजी के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या एक एवं उसके भाई भैरा ने दिनांक 29.11.1996 को नाथुदास के पक्ष में विक्रय करने का इकरार किया तथा प्रतिवादी संख्या एक एवं भैरा द्वारा इकरार की पालना नहीं करने से नाथुदास ने सन् 2000 में न्यायालय में इकरार की पालना का वाद प्रस्तुत किया। दिनांक 11.12.2012 को वाद डिक्री किया गया और उस डिक्री व निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक व उसके भाई भैरा ने जिला न्यायालय, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की वह अपील दिनांक 21.01.2015 को निरस्त हो गई। उपरोक्त वर्णित डिक्री की पालना में प्रतिवादी संख्या एक एवं उसके भाई भैरा द्वारा पंजीयन नहीं

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

[illegible] से न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2020 को नाथुदास के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एवं डाली बाई के पक्ष में पंजीयन कराया गया। डालीबाई की मृत्यु हो चुकी है। सन् 2000 में जब इकरार की पालना का वाद प्रस्तुत किया उस वाद में प्रतिवादी संख्या एक स्वय प्रतिवादी पक्षकार था। इसके बावजूद लम्बित वाद के दौरान प्रतिवादी संख्या एक ने जमीन विक्रय कर दी जो लिस–पेन्डेन्स के सिद्धान्त से प्रभावित है। डिक्री हो जाने के बाद क्रेता नाथुदास की तरफ से दिनांक 31.07.2013 को एक आम सुचना भी जारी करवाई गई जिसका कोई खण्डन वादीगण द्वारा नहीं किया गया। दौराने वाद किसी भी जमीन का हस्तान्तरण होने पर वह लिस–पेन्डेन्स से प्रभावित होता है और यदि वाद का निर्णय विक्रेता के विरूद्ध होता है तो लम्बित वाद के दौरान किये गये विक्रय पत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या एक ने दौराने वाद यह विक्रय किया है और वादीगण ने भी दौराने वाद जमीन खरीदी। रामा के विरूद्ध वाद डिक्री होकर उस वाद के वादी के पक्ष में न्यायालय द्वारा पंजीयन भी करवा दिया गया। इस प्रकार इस वाद में वादीगण द्वारा कहे जाने वाले विक्रय पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं है वह अस्तित्वहीन हो चुका है और ऐसे शून्य एवं अस्तित्त्वहीन विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करने के लिए कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है। स्पष्ट रूप से जब यह वाद एक शून्य एवं अस्तित्वहीन और दौराने वाद निष्पादित किये गये विक्रय पत्र के आधार पर किया गया है और चूंकि सक्षम न्यायलय द्वारा डिक्रीदार के पक्ष में पंजीयन भी करवा दिया गया है इसलिए कानूनी रूप से भी वाद श्रवण योग्य नहीं रहता है इसलिए भी यह वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र जवाब अवसर बंद किए गए। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रएवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4 व नाथुदास द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उदयपुर शहर दक्षिण, उदयपुर के समक्ष वाद सविदा की विशिष्ट पालना बाबत् प्रतिवादी संख्या एक व भैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। वाद में निर्णय दिनांक 11.12.2012 से प्रतिवादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जा चुका है। उक्त निर्णय की पालना में सिविल न्यायाधीश

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

दक्षिण उदयपुर शहर द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 किता 5 रकबा 1.3300 हैक्टेयर का पंजीयन प्रतिवादी संख्या 3, 4 व डालीबाई के पक्ष में निष्पादित करवाया गया एवं तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 व 4 खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुके है। प्रतिवादी संख्या एक का नाम राजस्व रिकार्ड से हट चुका है। जिससे प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी अधिकार वादग्रस्त आराजीयात के सम्बध में समाप्त हो चुके है। वादी द्वारा अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सम्बध में कोई वादकारण प्रकट नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या एक खातेदार काश्तकार नहीं रहने से प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध वादी का वाद कारण शेष नहीं रहा है। अतः वादी के वाद में कोई वाद कारण नहीं है।

अतः वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो।प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा—उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 108/2021 सन 2021 शीर्षक वाद (1) बाबुलाल मीणा पिता श्री लालुराम जी मीणा उम्र बालिग, जरिये मुख्तयार पुनालाल पुत्र कमला जी मीणा निवासी से. 14, उदयपुर (राज.) (2) श्री कान्तिलाल मीणा पिता श्री लच्छुराम जी मीणा, उम्र बालिग निवासियान—गॉव पीपली—अ, हाल तहसील त्रषभदेव, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री रामा मीणा पिता श्री कुबा मीणा उम्र वयस्क, निवासी खरपीणा, तह0 गिर्वा (2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (3) रामचन्द्र पिता स्व0 नाथुदास गमेती निवासी हवालाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4) श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी दौलतराम गमेती पुत्री नाथुदास गमेती, निवासी हवालाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अधिवक्ता कैलाश नागदा की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :—

वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ...-/-...........रुपये की राशि.........-/-....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....-/-.......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....-/-.....द्वारा .....-/-............को दी जाए।

यह आज तारीख ....09..................... माह ...10......... सन् ...2023.............. को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद ....उपखण्ड अधिकारी....
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		